| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>उनवान सरकार बनाम ..... [illegible]<br>[illegible] | नंबर द<br>अहकाम<br>हुक्म की<br>में जारी |
|---|---|---|
| 4/5/18 | मुकदमा नं० 9/17 निर्णय दि० [illegible]<br>मजमूई केवल मौखिक साक्ष्य से मोहर्रिर वकील मजिस्ट्रेट। वकील मजिस्ट्रेट को उनाया गया।<br>वकील मजिस्ट्रेट द्वारा वकील के हलफ की दोहराते हुए बताया कि आज यह मुकदमा मजिस्ट्रेट का आज यह उनाया। जिससे सरकार किसी कार्यवाही के मजिस्ट्रेट का आज नहीं आये। मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों पक्ष जमीन [illegible] जमीन मजिस्ट्रेट का हिस्सा के बराबर हिस्सा के [illegible] मजिस्ट्रेट का आज व हिस्सा सरकार किसी कार्यवाही के रूप किया जाना आवश्यक है।<br>मजमूई का अवलोकन किया व पक्षकार का मंतव्य लिया।<br>इस तथ्य को ध्यान रखते हुए कि मजिस्ट्रेट का आज सरकार किसी कार्यवाही के दर्ज होने से रह गया है। अतः मजिस्ट्रेट का आज उपरांत आवश्यकता जो कि विधिपक्ष के आधार पर जाना जाता है उसके आधार पर मजिस्ट्रेट का आज सरकार किसी कार्यवाही के दर्ज मानते के आदेश [illegible] मोहर्रिर जाने का [illegible] मजिस्ट्रेट को जारी है। | |